

आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

Block-4, RKS Sankul, JLN Road, Jaipur-302015, Rajasthan

Website: <http://hte.rajasthan.gov.in/dept/dce/>

e-mail: jdacad1960@gmail.com Ph.: 0141-2706550

क्रमांक: एफ 7(4) प्रवेश नीति/अकाद/आकाशि/2024/03395

प्राचार्य,
समस्त राजकीय महाविद्यालय,
(विधि, राजस्थान संगीत संस्थान व राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट के अतिरिक्त)
राजस्थान।

विषय :-सत्र 2024-25 में समस्त राजकीय महाविद्यालयों में ऑनलाईन प्रवेश नवीनीकरण की संशोधित दिनांक के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ:-आयुक्तालय के आदेश क्रमांक/राजकाज न. 9070916 दिनांक 19.07.2024 को जारी ऑनलाईन प्रवेश नवीनीकरण प्रक्रिया।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि राजकीय महाविद्यालयों में स्नातक पार्ट द्वितीय (सेमेस्टर-III), तृतीय तथा स्नातकोत्तर (उत्तरार्द्ध) का ऑनलाईन प्रवेश नवीनीकरण कार्यक्रम निम्न सारणी अनुसार रहेगा:-

क्र.सं.	कार्य का विवरण	समयवधि
1.	स्नातक पार्ट द्वितीय (सेमेस्टर-III), स्नातक पार्ट तृतीय तथा स्नातकोत्तर (उत्तरार्द्ध) के लिए प्रवेश नवीनीकरण	24.08.2024 से 10.09.2024
2.	स्नातक पार्ट द्वितीय (सेमेस्टर-III), स्नातक पार्ट तृतीय तथा स्नातकोत्तर (उत्तरार्द्ध) के लिए ई-मित्र पर फीस जमा करवाना।	24.08.2024 से 10.09.2024

समस्त राजकीय महाविद्यालयों को स्नातक पार्ट द्वितीय (सेमेस्टर-III), स्नातक पार्ट तृतीय तथा स्नातकोत्तर (उत्तरार्द्ध) के लिए पूर्णतः अस्थाई प्रवेश नवीनीकरण प्रक्रिया पूर्ण करनी होगी। इसके अन्तर्गत समस्त स्नातक पार्ट प्रथम(सेमेस्टर-I), स्नातक पार्ट द्वितीय तथा स्नातकोत्तर (पूर्वार्द्ध) के प्रवेशित विद्यार्थियों को अगली कक्षा में क्रमोन्नत करने की ऑनलाईन प्रक्रिया पूर्ण करनी होगी एवं इसे महाविद्यालय स्तर से पूर्ण करने के पश्चात विद्यार्थियों का डाटा ई-मित्र पर पोस्ट किया जायेगा। विद्यार्थियों को ई-मित्र के माध्यम से फीस जमा कराने की सुविधा उपलब्ध रहेगी। फीस जमा कराने से पूर्व विद्यार्थियों द्वारा अपना जनआधार वेरिफाई करवाना आवश्यक होगा।

समस्त प्राचार्य व्यक्तिगत रूप से यह सुनिश्चित करें कि सभी छात्रों का डेटा आवश्यक ऑनलाईन प्रक्रिया पूर्ण कर ई-मित्र पर पोस्ट हो जाये। ई-मित्र पर फीस जमा कराने से सम्बन्धित सूचनाओं को समाचार पत्र/इलेक्ट्रॉनिक मीडिया /दूरभाष/सोशल मीडिया तथा वाट्सएप आदि के माध्यम से विद्यार्थियों को अवगत कराया जाना सुनिश्चित करें।

विद्यार्थियों का अगली कक्षा में प्रवेश पूर्णतः अस्थाई है एवं राज्य सरकार द्वारा प्रवेश सम्बन्धी लिये गये निर्णयों के अध्याधीन रहेगा।

ऑनलाईन प्रवेश प्रक्रिया के क्रियान्वयन में होने वाली संभावित शंकाओं के सम्बन्ध में आयुक्तालय के प्रो. विवेक मण्डोट (नोडल अधिकारी-ऑनलाईन एडमिशन)/श्री वनफूल अग्रवाल से कार्यालय समय में दूरभाष नं० (0141-2706106) या ई-मेल dce.oap@gmail.com पर सम्पर्क किया जा सकता है। यह अति महत्वपूर्ण व समयबद्ध प्रक्रिया है। अतः इसे सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान करते हुए, समय सारणी अनुसार प्रक्रिया सम्पन्न करावें।

उक्त सक्षत स्तर से अनुमोदित है।

(प्रो० विजय सिंह जाट)
संयुक्त निदेशक, अकादमिक

क्रमांक: एफ 7(4) प्रवेश नीति/अकाद/आकाशि/2024/03395

दिनांक:

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है -

1. निजी सचिव, माननीय उप-मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा, शासन सचिवालय, जयपुर।
3. निजी सचिव, आयुक्त, कॉलेज शिक्षा राजस्थान, जयपुर।
4. निजी सचिव, आयुक्त सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग, राजस्थान, जयपुर।
5. अतिरिक्त निजी सचिव, अतिरिक्त आयुक्त, कॉलेज शिक्षा राजस्थान, जयपुर।
6. अतिरिक्त निदेशक, सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग, जयपुर को भेजकर लेख है कि वे समस्त ऑनलाईन प्रवेश प्रक्रिया सम्बन्धित कार्यवाही एवं ई-मित्र पर फीस जमा करवाने की सुविधा प्रदान करने के लिए आवश्यक कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें।
6. वेब प्रभारी, आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर को अपलोड करवावे।

Signature valid

Digitally signed by Vijay Singh Jat
Designation: Joint Director
Date: 2024.08.24 11:06:55 IST
Reason: Approved

